

# FORM NO-III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - जिला कलक्टर

मुकाम

अजमेर

एकजीक्यूटीव बोर्ड ऑफ दी मेथोडिस्ट एपिस्कायेल चर्च बनाम मिराज डवलपर्स प्राईवेट लि0 व अन्य  
किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधि 1956 प्रकरण संख्या 51/2011

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 18.10.2024 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट अनुपस्थित । राजकीय पेरोकार उपस्थित। राजकीय पेरोकार ने पत्रावली पर निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना अपीलांट/वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 24.11.2011, की पालना में आज तक नोटिस तलबाना प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तत्पश्चात दिनांक 27.01.2012, 16.03.2012, 10.5.12, 13.7.12, 14.9.12, 15.02.2013, 12.04.13, 19.07.13, 06.09.12, 25.10.13, 7.3.14, 02.05.14, 20.6.14, 25.07.14, 11.09.14, 09.2.15, 23.03.15, 4.05.15, 1.9.15, 20.10.15, 22.12.15, 12.04.16, 29.06.16, 17.10.16, 07.11.16, 10.1.17, 07.03.2017, 11.04.2017, 09.05.2017, 06.06.2017, 11.07.2017, 07.11.2017, 05.12.2017, 09.01.2018, 12.06.2018, 10.07.2018, 14.08.2018, 04.09.2018, 24.10.2018, 28.11.2018, 26.12.2018, 23.01.2019, 20.02.2019, 22.03.2019, 14.04.2019, 04.06.2019, 16.07.2019, 20.08.2019, 17.09.2019, 15.10.2019, 19.11.2019, 17.12.2019, 14.01.2020, 04.03.2020, 18.08.2020, 27.10.2020, 01.12.2020, 12.01.2021, 30.03.2021, 11.05.2021, 15.06.2021, 03.08.2021, 14.09.2021, 18.01.2022, 22.02.2022, 12.04.2022, 11.05.2022, 27.06.2022, 15.07.2022, को नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया । तत्पश्चात दिनांक 09.12.2022, 30.01.2023, 19.05.2023, 06.10.2023, 05.01.2024, 12.04.2024, 31.05.2024, 12.07.2024, 04.10.2024 को अन्तिम मौका दिये जाने पर अपीलांट/वकील अपीलांट द्वारा नोटिस तलबाना प्रस्तुत नहीं किया गया। ना ही अपीलांट/वकील अपीलांट नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं। अतः अपील अपीलांट अदम पालना में खारिज हेतु निवेदन किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय प्रभावी आदेशिका 04.10.2024 के बावजूद लगभग 78 से अधिक अवसर प्राप्त किये जाने एवं 13 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई। जिससे अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता की उक्त अपील को चलाये जाने में ना तो किसी प्रकार की रुचि प्रकट होना प्रतीत होती है ना ही अपीलांट जरिये अधिवक्ता न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं। इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभयपक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता हैं। अतः अपीलाण्ट की अपील न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> |  |

  
 (लोकेश बघु)  
 जिला कलक्टर, अजमेर